याचिका संख्या 1136/19

सत्यमेव जयते

षोडश

बिहार विधान सभा

की

याचिका समिति

का

प्रतिवेदन संख्या-24

(नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित याचिका संख्या 1136/19 पर समिति का प्रतिवेदन)

(दिनांक 26/02/2021 ~~2020~~ ई० को सदन में उपस्थापित)

विषय-सूची

क्रमांक		पृष्ठ
1.	याचिका (मुख्य समिति) वर्ष 2020-21 के सदस्यों की सूची	1
2.	सभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण ..	2
3.	प्राक्कथन ..	3
4.	प्रतिवेदन ..	4-5
5.	परिशिष्ट ..	6-11

बिहार विधान सभा सचिवालय

बिहार विधान सभा की याचिका समिति (वर्ष 2020—21) के सदस्यों की सूची

सभापति

1.	श्री फैयाज अहमद	स०वि०स०

सदस्यगण

1.	डॉ० रामानन्द यादव	स०वि०स०
2.	श्री रामानन्द प्रसाद सिंह	स०वि०स०
3.	श्रीमती गुलजार देवी	स०वि०स०
4.	श्री सत्यदेव सिंह	स०वि०स०
5.	श्री फैसल रहमान	स०वि०स०
6.	श्री अनिल कुमार यादव	स०वि०स०
7.	श्री नन्द कुमार राय	स०वि०स०
8.	श्रीमती भावना झा	स०वि०स०
9.	श्री विद्या सागर सिंह निषाद	स०वि०स०
10.	श्री मनोज कुमार	स०वि०स०
11.	श्री संजीव चौरसिया	स०वि०स०
12.	सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान	स०वि०स०
13.	श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी	स०वि०स०
14.	श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन	स०वि०स०
15.	श्री चन्द्रशेखर	स०वि०स०

सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची

1.	श्री राज कुमार सिंह	सचिव
2.	श्री भूदेव राय	निदेशक
3.	श्री गणेश कुमार	अवर-सचिव
4.	श्री उमा शंकर यादव	प्रशाखा पदाधिकारी
5.	श्री रंजय कुमार	सहायक
6.	श्री संजय कुमार II	सहायक
7.	श्री विकास कुमार प्रसाद	सहायक
8.	श्री बिट्टु शर्मा	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर

प्राक्कथन

मैं, सभापति, याचिका समिति की हैसियत से षोडश बिहार विधान सभा में प्रस्तुत नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित याचिका संख्या 1136/19 पर याचिका समिति का प्रतिवेदन संख्या 24 प्रस्तुत करता हूँ ।

उक्त प्रतिवेदन दिनांक 21 सितम्बर, 2020 को मुख्य समिति की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया ।

सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में जो तत्परता एवं सहयोग प्रदान किया है, इसके लिये मैं उनकी सराहना करता हूँ ।

समिति के माननीय सदस्यगण द्वारा समिति की बैठक में भाग लेने एवं प्रतिवेदन तैयार करने में अपना बहुमूल्य समय देने के लिये मैं उनका आभारी हूँ और इस कार्य हेतु मैं उन्हें अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ ।

पटना:
दिनांक 21 सितम्बर, 2020 ई० ।

फैयाज अहमद,
सभापति,
याचिका समिति,
बिहार विधान सभा, पटना ।

प्रतिवेदन

(नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित
याचिका संख्या 1136/19 पर समिति का प्रतिवेदन)

याचिका/ संख्या-1136/19

डॉ० अशोक कुमार, स० वि० स० द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित एवं श्री दीनानाथ प्रसाद, पता-जनकपुरी कॉलनी, रोड नं०-7, वार्ड नं० 37, दानापुर नगर परिषद्, पटना तथा अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा की सहमति के पश्चात् दिनांक 26 जुलाई, 2019 को सदन में प्रतिवेदन याचिका (मूल याचिका परिशिष्ट-1 पर द्रष्टव्य) ।

" पटना जिलान्तर्गत नगर परिषद्, दानापुर निजामत के वार्ड नं०-37 के जनकपुरी कॉलनी के रोड नं०-7 के अंतिम छोर (जो सर्वोदय नगर रोड नं०-1 के दक्षिणी अंतिम छोर में मिल जाती है) तक नाला-सह-सड़क का निर्माण कराने" से संबंधित है ।

उपर्युक्त याचिका को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-269 के तहत बिहार विधान की याचिका समिति के विचारार्थ दिनांक 29 जुलाई, 2019 को मुख्य समिति की बैठक में रखा गया । समिति द्वारा याचिका संख्या 1136/19 को संबंधित विभाग को भेजने का निदेश दिया गया ।

प्रसंगाधीन याचिका पर कार्यान्वयन एवं प्रतिवेदन हेतु सभा सचिवालय के पत्रांक 2747, दिनांक 21 अगस्त, 2019 (परिशिष्ट-2) द्वारा प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार एवं जिलाधिकारी, पटना को याचिका की प्रति के साथ 15 दिनों के अन्दर विभागीय प्रतिवेदन की माँग की गई ।

विभागीय उत्तर

नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 142, दिनांक 12 फरवरी, 2020 के माध्यम से कार्यालय नगर परिषद्, दानापुर निजामत का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें निम्न उत्तर दिया गया है:--

कार्यालय पत्रांक 2879, दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 द्वारा श्री अमन किशोर, संवेदक को कार्य आवंटन पत्र निर्गत किया गया । संवेदक द्वारा एकरारनामा किये जाने के बाद कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

विभागीय उत्तर पत्रांक 142, दिनांक 12 फरवरी, 2020 परिशिष्ट-3 पर द्रष्टव्य ।

उक्त विभागीय प्रतिवेदन के आलोक में अद्यतन कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु सभा सचिवालय के पत्रांक 2048, दिनांक 8 जून, 2020 (परिशिष्ट-4) द्वारा प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को स्मारित किया गया था, परन्तु अद्यतन प्रतिवेदन अप्राप्त है ।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 3 सितम्बर, 2020 को याचिका समिति की बैठक में विभागीय उत्तर के आलोक में सर्वसम्मति से समिति द्वारा अनुशंसा की गई कि ''विभाग कार्य को गुणवत्ता सहित पूरा कर तीन माह के अन्दर समिति को विस्तृत प्रतिवेदन दे ।''

पटना:
दिनांक 21 सितम्बर, 2020 (ई०) ।

फैयाज अहमद,
सभापति,
याचिका समिति,
बिहार विधान सभा, पटना ।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

याचिका संख्या-1136/19

प्रतिहस्ताक्षरित

डॉ० अशोक कुमार,

स० वि० स० ।

सेवा में

बिहार विधान सभा, पटना ।

हमलोग पटना जिला के नगर परिषद् दानापुर निजामत अन्तर्गत वार्ड नं०-37 के जनकपुरी कॉलनी के रोड नं०-7 के निवासी हैं । हमलोगों को जनकपुरी कॉलनी रोड नं०-7 के अंतिम छोड़ तक सड़क एवं सिवरेज सिस्टम नहीं रहने के कारण आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है । नाला नहीं रहने के कारण गंदा पानी गड्ढवाली सड़क पर जमा हो जाता है जिसके कारण वहाँ के निवासियों को भयंकर बीमारी से जूझना पड़ रहा है और यहाँ के लोग नारकीय जीवन जीने को विवश हैं । हमलोगों ने एक बार लिखित रूप से प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, कार्यपालक पदाधिकारी, दानापुर, नगर परिषद्, नगर अध्यक्ष, दानापुर तथा स्थानीय वार्ड प्रतिनिधि से उक्त स्थान पर नाला-सह-सड़क निर्माण हेतु अनुरोध किया है, परन्तु अभीतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है ।

अत: हमलोग याचना करते हैं कि नगर परिषद्, दानापुर निजामत अन्तर्गत वार्ड नं०-37 के जनकपुरी कॉलोनी के रोड नं०-7 के अंतिम छोर (जो सर्वोदय नगर रोड नं०-1 के दक्षिणी अंतिम छोर में मिल जाती है) तक नाला-सह-सड़क का निर्माण कराने की कृपा की जाये ।

<u>याचिकाकर्त्ता का नाम एवं पता</u>

1. दीनानाथ प्रसाद, जनकपुरी कॉलोनी, रोड नं०-7, वार्ड नं०-37, दानापुर नगर परिषद्, पटना ।

2. आर० के० सिंह, जनकपुरी कॉलोनी, रोड नं०-7, वार्ड नं०-37, दानापुर नगर परिषद्, पटना ।

परिशिष्ट-2

पत्र सं० वि० स० (या०)-1472/19-2747/ वि० स० ।

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

गणेश कुमार,

अवर-सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,

बिहार, सरकार पटना ।

पटना, दिनांक 21 अगस्त, 2019 ।

विषय--डॉ० अशोक कुमार, स०वि०स० द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित याचिका संख्या 1136/19 के संम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार बिहार विधान सभा की याचिका समिति की कार्य संचालन नियमावली, 1972 के नियम-5 (1) के अनुसरण में यथा उल्लिखित याचिका की एक टंकित प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध करना है कि याचिका में उल्लिखित बिन्दुओं पर संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं उस पर विभागीय मंतव्य (15 हिन्दी प्रतियों में) पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर सभा सचिवालय को याचिका समिति के विचारार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,

गणेश कुमार,

अवर-सचिव,

बिहार विधान सभा पटना ।

परिशिष्ट-3

सं० (6) न० वि० स० या० बै०/11/2017-142 /न० वि० एवं आ० वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास

प्रेषक

परियोजना पदाधिकारी-सह-उप-निदेशक ।

सेवा में

श्री भूदेव राय,

निदेशक,

बिहार विधान सभा पटना ।

पटना, दिनांक 12 फरवरी, 2020 ।

विषय--बिहार विधान सभा की याचिका समिति की दिनांक 13 फरवरी, 2020 को निर्धारित बैठक हेतु प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 141, दिनांक 5 फरवरी, 2020 के प्रसंग में बिहार विधान सभा की याचिका समिति की दिनांक 13 फरवरी, 2020 को निर्धारित बैठक हेतु विभागीय प्रतिवेदन (15 प्रतियों में) संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाये ।

अनुलग्नक-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

(ह०)अस्पष्ट,

परियोजना पदाधिकारी-सह-उप-निदेशक ।

पत्रांक 275

कार्यालय नगर परिषद्, दानापुर निजामत

तकियापर, दानापुर, पोस्ट-दीघा, जिला-पटना-800012

(दूरभाष सं०-06115 225864)

प्रेषक

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, दानापुर निजामत ।

सेवा में

अपर सचिव-सह-उप-निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना ।

दिनांक 12 फरवरी, 2020

विषय--बिहार विधान सभा की याचिका समिति की बैठक हेतु प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग--भवदीय पत्रांक 201, दिनांक 11 फरवरी, 2020 एवं विभागीय पत्रांक 756, दिनांक 11 फरवरी, 2020 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के अनुपालन के नगर परिषद्, दानापुर निजामत से संबंधित याचिकाओं का अद्यतन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है ।

सादर सूचनार्थ।
अनुलग्नक-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, दानापुर निजामत ।

कार्यालय नगर परिषद् दानापुर निजामत

डॉ० अशोक कुमार, माननीय स० वि० स० से प्राप्त याचिका सं० 1136/19 से संबंधित प्रतिवेदन सामग्री—

प्रश्न	उत्तर
नगर परिषद्, दानापुर निजामत अन्तर्गत वार्ड नं० 37 के जनकपुरी कॉलोनी के रोड नं०-7 के अंतिम छोर एवं सिवरेज सिस्टम नहीं रहने के कारण आवागमन में काफी कठिनाई के संबंध में ।	कार्यालय पत्रांक 2879, दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 द्वारा श्री अमन किशोर, संवेदक को कार्य आवंटन पत्र निर्गत किया गया । संवेदक द्वारा एकरारनामा किये जाने के बाद कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

(हा०) अस्पष्ट,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,

नगर परिषद्, दानापुर निजामत ।

परिशिष्ट-4

सं० वि० स० (या०)-1472/19/ 2048/ वि० स०

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

गणेश कुमार,

अवर-सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,

बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक 8 जून, 2020 (ई०) ।

विषय--डॉ० अशोक कुमार, स०वि०स० द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित याचिका संख्या 1136/19 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार विधान सभा याचिका समिति की दिनांक 22 मई, 2020 की बैठक में याचिका संख्या 1136/19 पर समीक्षोपरान्त निर्णय लिया गया है कि नगर परिषद् कार्यालय, दानापुर निजामत के पत्रांक 275, दिनांक 12 फरवरी, 2020 में उल्लेख है कि संवेदक द्वारा एकरारनामा किये जाने के बाद कार्यादेश निर्गत किया जायेगा, परन्तु इस संबंध में अद्यतन कार्यान्वयन प्रतिवेदन सभा सचिवालय को अप्राप्त है, जिसे शीघ्र उपलब्ध करवाने हेतु विभाग को स्मारित किया जाये ।

अत: आपसे अनुरोध है कि उक्त याचिका का कार्यान्वयन प्रतिवेदन समिति के विचारार्थ सभा सचिवालय को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,

गणेश कुमार,

अवर-सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0- 56 (एल०ए०), 2020-21 डी०टी०पी०-350

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2020